न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-172RAAJodhpur2023-81RTA225 Dayaram ors Vs Mohanram etc

1. दयाराम पुत्र रामूराम
2. हनुमान पुत्र गेनाराम

दोनो जातियान जाट, निवासीगण- चौकड़ी खुर्द, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. मोहनराम पुत्र लाभुराम
2. गणपतराम पुत्र लाभूराम
3. जगदीश पुत्र लाभूराम
4. तीजा पुत्री लाभूराम
5. धापु पुत्री लाभूराम
6. धारुराम पुत्र लाभूराम
7. फैना पुत्री लाभूराम
8. सुन्दरी पुत्री लाभूराम

सभी जातियान् जाट, निवासीगण- चौकड़ी खुर्द, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

9. राजस्था सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 12 अप्रैल 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 990/2021 जीसीएमएस नं. 2021/1090 मोहनराम बनाम दयाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री ओमप्रकाश फड़ौदा अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1,4,5,7 व 8

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या 9

25.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 25 जनवरी 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 990/2021 जीसीएमएस नं. 2021/1090 मोहनराम बनाम दयाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 12 अप्रैल 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 05 मई 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 404 रकबा 2.1358 हैक्टेयर ग्राम चौकड़ी खुर्द तहसील पीपाड़ शहर में आने-जाने हेतु अपीलांट्स/अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नं. 406/1 में से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार मार्क ए.बी.सी.डी. 15 फीट चौड़ा रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12 अप्रैल 2023 के जरिये प्रार्थी/रेस्पो संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर 5 मीटर चौड़े रास्ते का आदेश पारित कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी ने अपनी भूमि खसरा नं. 406 में सें 15 फुट चौड़ा रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु सहमति दी गई थी एवं इतने ही रास्ते की रेस्पोडेंट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मांग की गई थी, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने 15 फुट के स्थान पर 16 फीट 06 इंच चौड़ा रास्ता उपलब्ध करवाया है। इतना ही नहीं अपीलार्थी ने अपनी भूमि खसरा नं. 406 में सें 416 फुट लंबा रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु सहमति दी थी जो रेस्पोडेंट की भूमि खसरा नं. 404 तक पहुंचने हेतु पर्याप्त था,

25-1-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इसके विपरीत कुल 483.33 फुट लम्बा रास्ता उपलब्ध करवाया है जो आवश्यकता एवं अपीलार्थी की सहमति के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा मनमाना आदेश देकर पक्षकारान् को अनावश्यक मुकदमेबाजी में धकेला है। ऐसा लगता है कि अधीनस्थ न्यायालय की मंशा पक्षकारान् के साथ न्याय करने के बजाय उन्हें अनावश्यक मुकदमेबाजी में धकेलने की थी। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र के अलावा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10(2) सीपीसी के तहत पेश हुआ जिसे स्वीकार किया जाकर अन्य पक्षकारान् को बतौर अप्रार्थी संयोजित किया गया, परन्तु उन्हे सुनवाई का कोई नोटिस नहीं भेजा गया एवं न उनकी ओर से कोई जवाब पेश हुआ। इतना ही नहीं स्वयं अपीलार्थी को भी जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं अपीलांट को बिना सुने फैसला कर दिया गया। मामले में विचारण न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवायी गई थी, उस मौका रिपोर्ट का आदेश में न तो कोई उल्लेख किया गया न उसकी नकल आज दिन तक अपीलार्थी को उपलब्ध करवायी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे को ही आधार मानकर अपनी मर्जी से रास्ते की लंबाई एवं चौड़ाई निर्धारित करते हुए फैसला कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई तमाम कार्यवाही धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के विरूद्ध होने से अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 12 अप्रैल 2023 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे।

जबाब में अधिवक्तागण रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संपूर्ण विधिक

25.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रक्रिया अपनाते हुए मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य सबूतों के आधार पर मौके की स्थिति के अनुसार निकटतम एवं लघुतम रास्ते का आदेश पारित किया है। प्रत्यर्थी के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा मौके पर अन्य वैकल्पिक एवं निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी का मकान खसरा नं. 406 की माठ पर बना हुआ होने से रास्ते की लंबाई को बढाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 01.03.2022 में रेस्पोडेंट के आवागमन हेतु रास्ते के अपीलाधीन रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. को निकटतम एवं लघुतम बताया गया है तथा मौके पर कदीमी रास्ते के रूप में चालू बताया गया है तथा उक्त रास्ते की पहुंच आगे अन्य खसरों तक बताई गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा रास्ता 15 फीट चौड़ाई तक दिये जाने में सहमति प्रदान की गई है।

अपीलांट का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा खसरा नं. 404 की सीमा से आगे तक अनावश्यक लंबा रास्ता प्रदान किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध मौका फर्द के अवलोकन मुताबिक खसरा नं. 404 की सीमा पर प्रत्यर्थी का मकान बना हुआ होने से रास्ते की लंबाई बढाई गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है।

अपीलांट का उक्त उज कि प्रत्यर्थी द्वारा 15 फीट चौड़े रास्ते की मांग की गई, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अनुतोष से बढकर 15 फीट

25-1-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के स्थान पर 5 मीटर(16फीट 6 इंच) चौड़ा रास्ता प्रदान कर दिया है। रास्ते के रूप में भूमि का अनावश्यक रकबा व्यर्थ न हो इसलिए अपीलांट का उक्त उज्र मानने योग्य है। लिहाजा इस सीमा तक अपीलाधीन आदेश को संशोधित किया जाना न्याय हित में उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 990/2021 जीसीएमएस नं. 2021/1090 मोहनराम बनाम दयाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 12 अप्रैल 2023 को संशोधित किया जाकर अपीलाधीन रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर के स्थान पर 15 फीट की जाती है। तहसीलदार पीपाड़ शहर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संशोधन अनुसार रास्ते के रकबे की गणना कर तथ डी.एल.सी. दर की दुगुनी प्रतिकर राशि का निर्धारण कर प्रत्यर्थी को अवगत करावे। प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिकर राशि पक्षकारान् को अदा कर दिये जाने पर रास्ते का राजस्व रेकर्ड में राज्य सरकार के पक्ष में गैर मुमकिन रास्ते का अमल दरामद कर राजस्व नक्शे में तरमीम अंकित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.1.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर